**बिहार सरकार**
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**
**(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)**

# आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 743 दिनांक 02.08.2022 द्वारा मो0 सरताज अहमद, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03553) के विरूद्ध ससमय सर्वेक्षण कार्य पूर्ण नहीं करने, बिना अवकाश स्वीकृत कराए अनुपस्थित रहने, वरीय पदाधिकारियों द्वारा दिए गए निदेश की अवहेलना करने संबंधी कतिपय आरोप प्रतिवेदित करते हुए हुए सेवा समाप्ति की अनुशंसा की गयी है।

प्रतिवेदित आरोप एवं की गयी अनुशंसा के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के ई–ऑफिस पत्रांक I/31328 दिनांक 31.08.2022 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। आरोपित द्वारा प्राप्त स्पश्टीकरण मुख्यालय स्तर पर सुपौल जिला के लिए नामित्त नोडल पदाधिकारी का मंतव्य प्राप्त किया गया है।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप, आरोपित से प्राप्त स्पश्टीकरण एवं नोडल पदाधिकारी के मंतव्य का अवलोकन किया। अवलोकनोपरांत यह पाया कि आरोपित द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित संतोशजनक नहीं है। साथ ही आरोपित द्वारा अपने अड़ियलपन स्वभाव के कारण त्याग पत्र स्वीकृति का अनुरोध किया गया है, जिससे बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा इनपर अड़ियलपन रवैया एवं मनमानेपन के आरोपों को साबित करता है। इनके इस तरह के कृत्य से अन्य कर्मियों पर पड़ने वाले कुप्रभाव के दृष्टिगत इनका त्याग पत्र स्वीकृत न कर संविदा नियोजन समाप्त किया जाना ही उचित होगा।

अतः **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम – 8(4)"** में वर्णित प्रावधान के तहत मो0 सरताज अहमद, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03553) का संविदा अनुबंध रद्द किया जाता है।

Signed by Jai Singh
Date: 18-03-2023 21:14:10

**निदेशक**
भू–अभिलेख एवं परिमाप

**प्रतिलिपि :–**

1. मो0 सरताज अहमद, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03553), बंदोबस्त कार्यालय, सुपौल को सूचना प्रेषित ।
2. बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
3. श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं निदेशालय आदेश संख्या 1250 दिनांक 30.01.2023 के अनुपालनार्थ प्रेषित ।